फा.सं.1(16)/संस्था II (क)/2008
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था II (क)

नई दिल्ली, 12 मई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यपालकों के लिए रिहायशी आवास किराए पर लेने के लिए मंत्रालयों/विभागों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यपालकों के लिए रिहायशी आवास किराए पर लेने के लिए इस मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 1(12)/संस्था II (क)/98 दिनांक 7 सितम्बर, 1999 के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है । इस मामले पर सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि, उपर्युक्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए मंत्रालय/विभाग अपने स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यपालक के लिए रिहायशी आवास भाड़े पर ले सकेंगे बशर्ते निम्नलिखित सीमाओं/मानकों का अनुपालन किया जाए:-

वेतनमान अथवा वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	अधिकतम सीमा जिस तक आवास किराए पर लिया जा सकता है		सर्वेंट क्वार्टर, गैराज तथा कार्यालयी कामकाज के लिए कमरे समेत अधिकतम क्षेत्रफल
	"X" वर्ग शहर (दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू)	"Y" वर्ग शहर	
80,000 रु. तथा इससे ऊपर का वेतनमान	40,000 रु.	32000 रु.	1900 स्क्वेयर फीट
75,500 - 80,000 रु. का वेतनमान	37,800 रु.	30,200 रु.	1900 स्क्वेयर फीट
10,000 रु. तथा इससे ऊपर के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 4	26,500 रु.	21,200 रु.	1700 स्क्वेयर फीट
8700 रु. तथा 8900 रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 4	23100 रु.	18,400 रु.	1700 स्क्वेयर फीट

अन्य जगहों पर, मुख्य कार्यपालकों के लिए रिहायशी आवास किराए पर लेने के लिए देय भाड़ा, संबंधित अधिकारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत जमा केन्द्र सरकार की दरों पर उनकी तैनाती के स्थान पर स्वीकार्य मकान किराया भत्ता जमा 5 प्रतिशत के मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए । इस तरह से परिकलित राशि को निकटतम 100 रु. में पूर्णांकित किया जाएगा ।

2. इस का.ज्ञा. के संदर्भ में,जहां एक स्वायत्तशासी संगठन के मुख्य कार्यपालक को आवास किराए पर लेकर दिया गया है, मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क भी लिया जाएगा ।

3. उपर्युक्त सीमाओं का मंत्रालयों/विभागों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए । यह नोट किया जाए कि क्षेत्रफल के संबंध में निर्धारित सीमाएं अनुमत अधिकतम सीमाएं हैं तथा निर्धारित क्षेत्रफल का आवास अनुरूपी मौद्रिक सीमा में उपलब्ध न होने की स्थिति में ऊपर निर्धारित मौद्रिक सीमाओं में छूट की कोई गुंजाइश नहीं है ।

4. ये आदेश,जारी होने तथा पिछले आदेशों के संदर्भ में जहां रिहायशी आवास पहले से ही उपलब्ध कराया गया है, कार्यकाल में बदलाव होने की तारीख से लागू होंगे ।

5. रिहायशी आवास के प्रयोजन से, स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यपालकों के संबंध में, जहां संशोधित वेतनमानों की शुरुआत नहीं हुई है अथवा उनका विकल्प नहीं चुना गया है, इस मंत्रालय के का. ज्ञा.सं. 1 (12)/संस्था II (क)/98 दिनांक 7 सितम्बर, 1999 में बताए गए वेतन रेंज/वेतनमान लागू होंगे ।

(एस. कृष्णमूर्ति)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग, आदि ।